फर्द अहकाम

(25)

कार्यालय .... जिला कलेक्टर, राजसमन्द ....

अर्जी BDO कुम्भलगढ़ .... विपक्षी मनोहरलाल वर्मा

किस्म मुकदमा PDR 91.49 .... पत्रावली संख्या 18/19 .... पद ....

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	27.07.2021 पत्रावली पेश हुई। उक्त प्रकरण को राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना क्रमांकः–9(4) राज–6 /2005/20 दिनांक 08.08.2005 से प्रसारित अधिसूचना में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 260 की उपधारा(1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय 10 तथा राजस्थान भू–राजस्व (भुगतान, जमा, वापसी एवं वसूली) नियम 1958 के अधीन जिला कलेक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन तथा उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, जिला परिषदों में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उनकी अधिकारिता क्षेत्र के भीतर, राज0 पंचायती राज अधिनियम 1994 के अन्तर्गत बकाया राशि वसूली हेतु किया जावेगा। अतः उक्त प्रकरण को राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राज0 जयपुर की अधिसूचना क्रमांकः–9(4)राज–6/ 2005 /20 दिनांक 08.08.2005 से प्रसारित निर्देश की अनुपालना में वसूली की कार्यवाही किये जाने का क्षेत्राधिकार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् राजसमन्द का होने से मूल प्रकरण को एतद्द्वारा स्थानान्तरण किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर राजसमन्द	